

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०-17/विधि-01-103/2025

पटना, दिनांक:- / /2025

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी०/डिप्लोमा अध्ययनरत निम्नांकित छात्र को बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के निमित्त कॉउंसिलिंग/साक्षात्कार में भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	विभाग	सत्र	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5	6
01	Prachi	08.03.1991	Microbiology	2022-25	PMC, Patna
02	Pankaj Kumar Jha	21.10.1995	Pathology	2022-25	PMC, Patna

- बॉण्ड से आच्छादित होने वाले चिकित्सक/छात्र को यह अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि बिहार राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा पूरी करेंगे।
- उक्त आदेश में यदि भविष्य में नियम के आलोक में कोई विसंगति का मामला सज्ञान में आता है, तो तदनुसार निर्गत आदेश को संशोधित करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

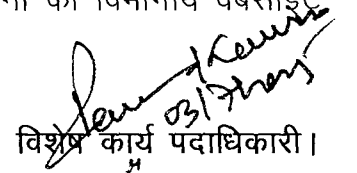
ज्ञापांक-17/विधि-01-103/2025 - 700(17) पटना, दिनांक:- 03/07/2025

प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित पी०जी०/डिप्लोमा अध्ययनरत छात्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।